



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 340 राँची, बुधवार, 16 आषाढ़, 1943 (श०)
7 जुलाई, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

2 जून, 2021

संख्या -8/आरोप-06/2019 का. 2483--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री शिवशंकर प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक, ग्रामीण विकास विभाग, सम्प्रति-प्रशाखा पदाधिकारी, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध इवाकरा योजना अन्तर्गत सृजित एवं अस्थायी ग्राम सेविका के पदों पर कार्यरत कर्मों को गैर-योजना मद के स्थायी ग्राम सेविका के पद के विरुद्ध वेतन भुगतान करने के निदेश से सम्बन्धित कार्यालय आदेश के निर्गमन की प्रक्रिया से जुड़े प्रस्ताव के गठन के क्रम में स्थापित नियमों तथा प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने सम्बन्धी आरोप के लिए ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक-4184 दिनांक-13.11.2019 द्वारा साक्ष्य सहित आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया।

2. उक्त के सम्बन्ध में श्री सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी के विरुद्ध प्रशासी विभाग द्वारा गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री रमाकान्त सिंह, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन में सरकार के तरफ से आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए श्री अशोक कुमार, अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।
